आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :मुरादाबाद,जनपद :अमरोहा,तहसील :हसनपुर
वाद संख्या :-4062/2018
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201843387003406
अन्जुमन ए अशरफ ऐजुकेशन सोसाइटी द्वारा अशफाक अली खाँ व संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सहसोली द्वारा प्रबन्धक अशफाक अली खाँ पुत्र अशरफ अली खाँ नि० सिहाली जागीर, संजय सिंह पुत्र मूलचन्द नि० बसी सहसोली व अशफाक अली खाँ पुत्र अशरफ अली खाँ नि० सिहाली जागीर तहसील हसनपुर जिला अमरोहा द्वारा योजित किया गया, जिसमे ग्राम पंचायत बसी सहसोली को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र मे कहा है कि ग्राम बसी सहसोली की भूमि गाटा सं० 218 रकबा 0.922है० के स्वामी है और यह भूमि अब आबादी भूमि है। इसमे कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। मौके पर बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है।

तहसीलदार हसनपुर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनाक 10.08.2018 मे कहा है कि आवेदक अंजुमन ए अशरफ ऐजूकेशन सोसायटी द्वारा अशरफ अली खाँ संहिता, 2006 (यथा संशोधित 2016) की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषणा हेतु प्रस्तुत ग्राम बसी सहसोली की भूमि गाटा सं 218 खतौनी खाता सं० 467 यूनीक गाटा सं० 118233201807180 के क्षेत्रफल 0.922है० को गैर कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की जाती है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपनी आख्या दिनांक 10.08.2018 मे कहा है कि आवेदक अंजुमन ए अशरफ ऐजूकेशन सोसायटी द्वारा अशरफ अली खाँ संहिता, 2006 (यथा संशोधित, 2016) की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषण हेतु प्रस्तुत गाटा स 218 खतौनी खाता सं० 467 यूनीक गाटा सं० 118233201807180 के क्षेत्रफल 0.922है० को गैर कृषिक प्रयोग के लिए घोषणा की संस्तुति की है तथा तहसीलदार हसनपुर ने मु० 25816-00 रू० वांछित शुल्क होने का उल्लेख किया है, जो वादी द्वारा वांछित धनराशि 25816-00 रू० जमा की जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार हसनपुर की आख्या के आधार पर गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अत तहसीलदार हसनपुर की आख्या दिनाक 10.08.2018 के आधार पर ग्राम बसी सहसोली की भूमि गाटा सं 218 खतौनी खाता सं० 467 यूनीक गाटा सं० 118233201807180 के क्षेत्रफल 0.922 है० को गैर कृषिक भूमि घोषित किया जाता है। लगान समाप्त किया जाता है। वादी ने चालान सं000013/07.09.2018 द्वारा मु० 25816-00 रू० सबंधित खाते मे जमा किया जा चुके है, जिनका मूल चालान संलग्न है। इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार/उपनिबंधक हसनपुर को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी हसनपुर।

उपरोक्त निर्णय एव आदेश आज दिनाक 20.09.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित, दिनांकित व उद्घोषित किया गया।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित
प्रतिलिपिकार 22/09/18
उपजिलाधिकारी हसनपुर

नकलकर्ता के ह०